प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र/पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत संचालित संस्थाएं।

पत्रांकः–प्राशिप/परिषद/2023/6691 **लखनऊःदिनांक–** 30.12.2023

विषयः–छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति–2023 के अंतर्गत नये संस्थानों को छात्रवृत्ति मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या प्राशिप/परिषद/2023/5474 दिनांक 22–11–2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से अर्ह पाये गये आवेदनों को अग्रसारित कर दिया गया है तथा शेष त्रुटिपूर्ण आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण, अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 78/2023/2631/26–3–2023–CN-1635592 दिनांक 28 सितम्बर 2023 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में **मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यकमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 सितम्बर तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी है।**

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद स्थित जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर अग्रेतर कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप/परिषद/2023/6692-93 **तद्दिनांक–** 30.12.2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव